सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 13/2020 दायर दिनाँक 24.07.2019

1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र खीवराज 2. मालचन्द पुत्र खींवराज 3. बिहारीलाल पुत्र मदनलाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बनवासा तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. ओमपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह 2. बलवीर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह 3. जितेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह 4. सुरज्ञान कंवर पुत्री सुरेन्द्र सिंह 5. मनोज कंवर पुत्री सुरेन्द्र सिंह 6. मूल कंवर पत्नि सुरेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपुत निवासी बनवासा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महावीर चतुर्वेदी वकील प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 06.11.2020

यह है कि ग्राम बनवासा पटवार हल्का दीनदारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक दौलतपुरा तहसील डीडवाना की राजस्व भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अपने खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 18.11 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 33.17 बीघा व खसरा नम्बर 129 रकबा 10.11 बीघा जो मौजा बनवासा पटवार हल्का दीनदारपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक दौलतपुरा में अवस्थित है खसरा नं. 129, 128, 127 में हमारे खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। जिस हेतु नये रास्ते के लिये आवेदन कर रहे हैं अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी ने राजीनामा पेश किया। राजीनामानुसार अप्रार्थीगण रास्ता देने पर सहमत है।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 529 दिनाँक 06.11.2020 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 137 से 129 तक पहुंचने हेतु दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी तक की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि सरहद बनवासा के खसरा नम्बर 138, 137, 135 व 134/242 से होकर 127, 128, 129 की भूमि में जाती है।

15/60

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–13 / 2020
दायर दिनाँक 24.07.2019 निर्णय दिनाँक 06.11.2020
सत्यनारायण शर्मा बनाम ओमपाल सिंह।

विद्वान वकुलाय आवेदक की सारगर्भित उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीपक्ष आवेदन को स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे हैं। वकुलाय प्रार्थीपक्ष की बहस पर मनन् किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। सरहद बनवासा के खसरा नम्बर 127 रकबा 18.11 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 33.17 बीघा व खसरा नम्बर 129 रकबा 10.11 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए, बी, सी, डी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 138 के पश्चिम सीमा व ख.न. 137, 135 व 134 / 242 की पूर्वी सीमा के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 127, 128, 129 वाकै सरहद बनवासा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 529 दिनाँक 06.11.2020 में दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रभावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 529 दिनांक 06.11.2020 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **06.11.2020** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner